न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 12/2017 एफ एस एस एक्ट

1. सरकार जरिये महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा,जिला दौसा ।

— आवेदक—

बनाम

1. श्री उत्तम चन्द जैन पुत्र श्री विनोदी लाल जैन एफबीओ मैसर्स— जैन ट्रेडर्स, सिकन्दरा चौराहा, तहसील सिकराय जिला दौसा।
2. श्रीमति अंगुरी देवी गुप्ता मैसर्सः— श्याम एण्ड कम्पनी, हाई स्कूल रोड, बांदीकुई जिला दौसा।
3. श्री श्याम सुन्दर गुप्ता मैसर्सः— श्याम एण्ड कम्पनी, हाई स्कूल रोड, बांदीकुई जिला दौसा।
4. श्री आशीष प्रसाद अग्रवाल नोमिनी/मैनेजर प्रोडक्शन मैसर्सः— विजय सॉल्वेक्स लिमि0 भगवती सदन, स्वामी दयानन्द मार्ग, अलवर।
5. मैसर्स विजय सॉल्वेक्स लिमि0 भगवती सदन, स्वामी दयानन्द मार्ग, अलवर।

— अभियुक्तगण—

जूर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएसए एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: श्री गिर्राज प्रसाद गुप्ता अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त सं0 1उपस्थित।
: अप्रार्थी अभियुक्त सं0 3 स्वयं उपस्थित।
: श्री सुधीर जैन अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त सं0 4 व 5 उपस्थित।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

—: आदेश :— दिनांक 17.5.2018

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्य सम्पादन कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) कमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार मुझे खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज.जयपुर के आदेश कमांक 475 दिनांक 10.08.2011 के द्वारा मुझे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र जिला दौसा आवंटित किया गया है।

यह है कि दिनांक 25.3.2016 को दोपहर बाद 03:30 बजे मैसर्स—जैन ट्रेडर्स, सिकन्दरा चौराहा तहसील सिकराय जिला दौसा स्थित का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विकेता श्री उत्तम चन्द जैन पुत्र श्री विनोदी लाल जैन उपस्थित मिला ने स्वयं को उक्त फर्म का मालिक होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिए कहां तो उसने खाद्य पदार्थ का लाइसेन्स न होना जाहिर किया।

यह है कि निरीक्षण के समय विकेता की दुकान में एक कार्टून में 20 पॉली पैकिंग में पैक 1 लीटर वजनी वनस्पति (स्कूटर) आम जनता को बेचने हेतु रखी हुई थी, में मिलावट का शक होने पर इनमे से 4 मूल पॉली पैक 1 लीटर वनस्पति (स्कूटर) नमूने की जांच हेतु खरीदा। जिसकी कीमत 240 रूपये नकद देकर बिल प्राप्त किया।

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

यह है कि चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व (विक्रेता) एफ.बी.ओ. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को खरीदशुदा वनस्पति (स्कूटर) पर चिपकाकर पैकिटो को अलग–अलग एक खाकी कागज में लपेट कर पैकिटो पर डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी.–1354 गोंद से चिपकाकर पैकिटो को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर पैकिटो को चार–चार जगह से चपडी से सील मोहर कर पैकिटो पर एफ.बी.ओ. (विकेता) व गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारों सील बन्द पैकिटो को अपने कब्जे में लिया।

यह है कि आवेदक ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की जो संलग्न है।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विकेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जो संलग्न है।

यह है कि आवेदक ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतिया तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने की एक सीलबंद पैकिट एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतिया अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने की एक सील बंद पैकिट व फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा श्री महादेव प्रसाद सैनी च.श्रे.क. मुख्यालय द्वारा दिनांक 28.03.2016 को खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, राज0 जयपुर के यहा जमा करवाये, जिसकी प्राप्ति की रसीद संलग्न है।

यह है कि नमूने की दो सील बन्द बोतल व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 28.03.2016 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा नमूने का चतुर्थ सीलबंद बोतल व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 29.3.2016 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

यह है कि उक्त खाद्य पदार्थ एगमार्क वनस्पति (स्कूटर) के नमूने की खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट सं0 एल.एस./278/एक्ट/2016/1752 दिनांक 04.05.2016 डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा के जरिये आवेदक को प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ वनस्पति (स्कूटर) का नमूना सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया।

अतः न्याय निर्णय आवेदन श्रीमान के समक्ष पेश कर निवेदन है कि जुर्म की अनविक्षा कर दोषी को अधिक से अधिक जुर्माने से दण्डित करने का श्रम करे।

प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्तगण की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रस्तुत प्रकरण में लगाये गये आरोपो को पढकर सुनाया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त सं 1 द्वारा लिखित जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा सैम्पल लेने की कार्यवाही विधिपूर्वक नहीं की गई है। हमने उक्त खाद्य पदार्थ वनस्पति (स्कूटर) के पॉली पैक श्याम एण्ड कम्पनी बांदीकुई से बिल नम्बर 3264 द्वारा खरीदे है। अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्तगण सं0 2 व 3 द्वारा लिखित जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि उक्त खाद्य पदार्थ वनस्पति (स्कूटर) हमारे द्वारा बिल से क्रय किया जाता है एवं बिल से ही बेचा जाता है। जिसकी प्रति हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई है। अतः निवेदन है कि हमें इस प्रकरण में जुर्माने से मुक्त करने का श्रम करे। अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त सं0 4 व 5 द्वारा लिखित जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न तो

न्याय निणय अधिकारी एव
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सैम्पल लेने की कार्यवाही विधि पूर्वक की गई ना ही विधि पूर्वक सैम्पल को पैक किया गया। खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट भी तय समयावधि 14 दिवस के अन्दर नही प्राप्त हुई है। सीएमएचओ द्वारा अभियोजन स्वीकृति भी विधि पूर्वक जारी नहीं की गई है। हमारे द्वारा खाद्य पदार्थ को लोटवाईज अपनी लैब में जांच कर मानक स्तर पर सही पाये जाने पर ही बाजार में भेजा जाता है। अतः हमारे विरूद्ध प्रस्तुत उक्त परिवाद खारिज फरमाने की कृपा करे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट सं0 एल.एस./278/एक्ट/2016/1752 दिनांक 04.05.2016 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ वनस्पति (स्कूटर) का नमूना सबस्टेण्डर्ड पाया गया है। जो एफएसएसए नियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) का उल्लंघन है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी सं0 4 व 5 श्री आशीष प्रसाद अग्रवाल नोमिनी/मैनेजर प्रोडक्शन मैसर्सः— विजय सॉल्वेक्स लिमि0 भगवती सदन, स्वामी दयानन्द मार्ग, अलवर द्वारा खाद्य पदार्थ वनस्पति (स्कूटर) सबस्टैंडर्ड का विक्रय किये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (II) का उल्लंघन होने से अपराध कारित होने के फलस्वरूप अप्रार्थी अभियुक्त सं0 4 व 5 श्री आशीष प्रसाद अग्रवाल नोमिनी/मैनेजर प्रोडक्शन मैसर्सः— विजय सॉल्वेक्स लिमि0 भगवती सदन, स्वामी दयानन्द मार्ग, अलवर, पर 25000/— (अक्षरे पच्चीस हजार) रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक 17.5.2018 के एक माह के अन्दर—अन्दर जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 17.5.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा
न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

क्रमांक/ 9309-15
दिनांकः— 17.5.2018

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी,मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री उत्तम चन्द जैन पुत्र श्री विनोदी लाल जैन एफबीओ मैसर्स— जैन ट्रेडर्स, सिकन्दरा चौराहा, तहसील सिकराय जिला दौसा।
4. श्रीमति अंगुरी देवी गुप्ता मैसर्सः— श्याम एण्ड कम्पनी, हाई स्कूल रोड, बांदीकुई जिला दौसा।
5. श्री श्याम सुन्दर गुप्ता मैसर्सः— श्याम एण्ड कम्पनी, हाई स्कूल रोड, बांदीकुई जिला दौसा।
6. श्री आशीष प्रसाद अग्रवाल नोमिनी/मैनेजर प्रोडक्शन मैसर्सः— विजय सॉल्वेक्स लिमि0 भगवती सदन, स्वामी दयानन्द मार्ग, अलवर।
7. मैसर्स विजय सॉल्वेक्स लिमि0 भगवती सदन, स्वामी दयानन्द मार्ग, अलवर।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा
न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official